

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर (अलवर)

(पीठासीन अधिकार लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

लोक अदालत/कैम्प कोर्ट का स्थान :- केहरोल

उनवान

श्री शोक न्युमा

बनाम

लक्ष्मी व अन्य

वकील

प्रतिवादी/दिवाण

दावा बाबत :- नका(1-2) आराजी

प्रकरण संख्या 95/16

अन्तिक निर्णय दिनांक 01-6-2017

वादी की ओर से लक्ष्मी की व प्रतिवादी की ओर से अन्य की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01-6-17 को महेश चन्द आरज (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :- आ.व.नं. 1342/0.86 ई.व.व.क.2/13 केहरोल तहसील अलवर में न. आ.व.नं. 1342/2 रकबा 0.43 ई.व.व.क. वादी को एवं आ.व.नं. 1342/1 रकबा 0.43 ई.व.व.क. प्रतिवादी को एक लक्ष्मी का (वकील) (कामका) (व्योक्ति) (पाना) है इसी कडु रूप डाक/डिक्री के अन्तर्गत (वकील) (कामका) (व्योक्ति) (पाना) है। कुदित उपलव्य प्रदर्श - क' एवम. वाड प्रीषिक, निर्णय एवं पत्नी डिक्री के अन्तिम का रेहरोल।

खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करेंगे।
यह आज तारीख 01-6-2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

महेश चन्द आरज
पीठासीन अधिकारी एवं
मुण्डावर (अलवर)
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	<u>-NIC</u>	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	<u>-NIC</u>
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. रुपये पर प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. कमिश्नर की फीस	
6. कमिश्नर की फीस		6. आदेशिका की तामील	
7. आदेशिका की तामील			
योग		योग	